किसान संगठित हो अधिकारों के लिए लड़ें-आल्वा

Friday, 22 Mar 2013 12:19:53 hrs IST

अजमेर। भारतीय कृषि संकट का सामना कर रही है। देश के किसानों की बिगड़ी हालत को ठीक करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को काम करना होगा। किसानों को भी संगठित होकर अपने अधिकारों को समझना होगा और उनके लिए लड़ना होगा। यह बात राज्यपाल मार्गेट आल्वा ने गुरूवार को पुष्कर की जाट विश्राम स्थली में भारत कृषक समाज के 36वें राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि उद्योगए आवासीय योजना और विकास के नाम पर किसानों की जमीन छीनी जा रही है। इसे बहुत नुकसान होगा। देश में गैर कृप्रष्ा भूमि बहुत है। यदि गैर कृषि उपयोग के लिए भूमि देनी है तो उसमें से देनी चाहिए। कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। किसान की जमीन सोने से भी कीमती है उसे बचाना हमारा कर्तव्य है।

मध्यप्रदेश के पूर्व राज्यपाल बलराम जाखड़ ने कहा कि किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर योजनाएं बनाई जा रही है। जिसे दर्द होता है वही जानता है। उन्होंने केन्द्र सरकार से मांग की है कि किसानों की जमीन पर योजना बनाने वालों में किसान अवश्य होना चाहिए। यह प्रस्ताव भी पारित होना चाहिए कि गैर किसान कृषि योजना में शामिल नहीं हो। किसानों की जमीन पर सीलिंग लगाई जा रही है लेकिन पूंजीपतियों की जमीन के लिए कोई सीलिंग नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को सतर्क रहना होगा।

शिक्षा राज्यमंत्री नसीम अख्तर ने कहा कि केन्द्र की यूपीए सरकार और प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किसानों के हित में बहुत काम किए हैं। भारत कृषक समाज के अध्यक्ष अजयवीर जाखड़ ने किसानों की वर्तमान स्थिति और संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी।

इंदिरा नहर ने बदली तस्वीर

राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। जब मुझे राज्यपाल बनाया गया तो लोगों ने कहा कि रेतीला हैए पानी की कमी है। लेकिन मैंने देखा कि इंदिरा गाधी नगर ने किसानों की तकदीर और प्रदेश की तस्वीर बदल दी है।

पूजा सरोवर

राज्यपाल ने पुष्कर के गऊ घाट पर सरोवर की पूजा अर्चना की। जाट विश्राम स्थली से राज्यपाल गऊ घाट पहुंची। सीढियां चढ़ने उतरने में दिक्कत के कारण बाल्टी में सरोवर का जल भरकर घाट के उपर ही लाया गया। वहां पर राज्यपाल ने पूजा अर्चना की।

कुर्सियों की कमी

अधिवेशन में कुर्सियों की कमी भी देखी गई। कुर्सियों की कमी के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हबीब खान गौरान और मदस विश्वविद्यालय के कुलपति रूपसिंह बारेठ को साउंड सिस्टम वालों के पास बैठना पड़ा।

पानी का गिलास साफ नहीं

अधिवेशन में मंच पर रखा गया पानी का गिलास साफ नहीं था। राज्यपाल ने पानी पीने के लिए गिलास उठायाए लेकिन गिलास गंदा होने पर उन्होंने बोतल से ही पानी पिया।

उर्वरक आर्थिक सहायता

आर्थिक सहायता एक विवादास्पद विषय है क्योंकि जो नीतियां बनाते हैं वे इन्हें लागू कराना चाहते हैं जबकि किसान आर्थिक सहायता की मात्रा बहुत कम पाते हैं। विश्व में खेती कहीं भी लाभकारी नहीं है, जब तक कि आर्थिक सहायता न दी जाए, भारत भी इसका अपवाद नहीं है। आर्थिक सहायता कई रूपों में प्रदान की जाती है और यूरोपीय देशों में यह 988 अमरीकी डॉलर, जापान में 9716, अमरीका में 190 और भारत में केवल 149 प्रति हेक्टेयर आर्थिक सहायता है। यूरोपीय देशों में यह 239 अमरीकी डॉलर, जापान में 358, अमरीका में 102 और भारत में केवल 21 हैं।

अन्य देशों के किसान भारतीय किसानों से कई गुना अधिक कृषि आर्थिक सहायता प्राप्त करते आ रहे हैं। हमारी सरकार का दावा है कि वह किसानों को अत्यधिक आर्थिक सहायता दे रही है किंतु यूरोपीय देशों में इतनी आर्थिक सहायता दी जाती है कि वहां की प्रत्येक गाय विश्व में कहीं भी हवाई जहाज से यात्रा कर सकती है। प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत सरकार पर्याप्त कर रही है। चीन से उचित तुलना की जा सकती है, चीन 396 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर एनपीके का उपयोग करता है और 5332 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर खाद्यान्न उत्पन्न करता है जबकि भारत केवल 156 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर का उपयोग करता है और 2239 कि. ग्रा. प्रति हेक्टेयर का उत्पादन होता है।

सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि भारत में उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है जिससे वातावरण दूषित होता है और हमारी भूमि की गुणवत्ता भी नष्ट हो रही है। उर्वरकों का आदर्श से अधिक उपयोग केवल पंजाब और हरियाणा तथा देश भर के छोटे–छोटे क्षेत्रों में ही हो रहा है। वास्तव में भारत के अधिकतम क्षेत्रों में आदर्श स्तर की तुलना में काफी कम उर्वरक का उपयोग किया जाता है। जैसे–जैसे भारत द्वितीय हरित क्रांति की ओर बढ़ रहा है और इसके विविधिकरण कार्यक्रम अपनाए जा रहे हैं, वैसे–वैसे उर्वरक का उपयोग बढ़ेगा और इसके आर्थिक सहायता बिल की मात्रा भी बढ़ेगी।

वर्ष 1990 के वित्तीय संकट के बाद संसदीय सदस्यों की संयुक्त कमेटी ने पोटाश और फास्फोरस उर्वरकों के मूल्यों के नियंत्रण को हटाने की सिफारिश की थी, यही देश में उर्वरकों के मूल्यों के नियंत्रण को हटाने की सिफारिश की थी, यही देश में उर्वरकों के बड़े पैमाने पर गलत उपयोग करने की शुरूआत थी।

वर्ष 2010 में पौष्टिकता आधारित उर्वरक आर्थिक सहायता आरंभ हुई और पोटाश और फास्फोरस के मूल्य दोगुने हो गए जबकि यूरिया के मूल्य उतने ही रहे। यह उर्वरकों का कुल गलत उपयोग का परिणाम है जिससे भूमि नष्ट हो रही है और लागत अधिक आ रही है। इसका परिणाम यह होगा की हमारी फसलों का उत्पादन स्थिर होना आरंभ हो जाएगा।

आर्थिक सहायता हटा लेने से कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और खाद्य मूल्य तथा गरीबी बढ़ेगी। उर्वरक मूल्य में 1 प्रतिशत परिवर्तन करने से कृषि उत्पादन 0.1 प्रतिशत कम हो जाता है। पौध पौष्टिकता के उपयोग में असमानता का मुद्दा महत्वपूर्ण है। इसके लिए पौध पौष्टिकता का उपयोग कम करने से इसका समाधान नहीं होगा बल्कि पौध पौष्टिकता का उपयोग बढ़ाना होगा जो निर्धारित मानदंडों से कम उपयोग किया जा रहा है।

नीति बाधाओं के कारण भारत में पिछले 10 वर्षों में कोई नया उर्वरक सयंत्र नहीं लगाया गया है। आर्थिक सहायता की मात्रा विदेशी लोग कम कर रहे हैं जो नीति को प्रभावित करने के लिए अपने संसाधनों को कारगर उपयोग करते हैं जिससे भारतीय उत्पादन को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। बिचौलियों के लिए आयातित उर्वरकों पर अच्छा लाभ कमाना सरल हो जाता है।

आर्थिक सहायता का अधिकतम भाग किसानों द्वारा सिंचाई क्षेत्र में उपयोग किया जाता है जो डिजायन के लिए नहीं होता बल्कि वे अधिक कठिन कृषि की पद्धति अपनाते हैं उन क्षेत्रों की तुलना में जहां पर वर्षा आधारित कृषि होती है, इस कारण वे अधिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। अधिकतम किसान छोटे और मंझोले स्तर के होते हैं इसलिऐ आर्थिक सहायता का वितरण समान होना चाहिऐ। किसानों की संस्था होने के कारण हम लगातार कहते आ रहे हैं कि आर्थिक सहायता प्रत्येक किसान के पास रखी भूमि के आकार के अनुपात में ही होना चाहिए।

मानव के इतिहास में यह स्पष्ट है कि किसानों पर राजाओं द्वारा लगान लगाया जाता रहा है, जैसे वे उनके कृषि उत्पादन का कुछ भाग लगान के रूप में ले लेते थे। शासक वर्ग समझता है कि सत्ता में बने रहने के लिऐ वे ऐसे उपाय करें कि लोगों का गुस्सा अधिक न बढ़े। सबसे उत्तम स्रोत यह होगा कि आहार पर आर्थिक सहायता दी जाए। कृषि पर आर्थिक सहायता देने से भी देहता के लोग विद्रोह न करें।

बजट 2013 की उपलब्धियां –

कृषि

1. कृषि और संबंधित क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर 11वीं योजना में 3.6 प्रतिशत थी जबकि 9वीं और 10वीं योजना में क्रमशः 2.5 प्रतिशत और 2.4 प्रतिशत थी।
2. 2012–13 में कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 250 मिलियन टन से अधिक होगा। यूपीए सरकार के शासन में मूल रूप से प्रत्येक कृषि उत्पाद के न्यूनतम समर्थन मूल्य में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।
3. वर्तमान वर्ष में कृषि मंत्रालय को 27,049 करोड़ रू. आबंटित किए गए, इसमें चालू वर्ष के आरई में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
4. कृषि अनुसंधन को 3415 करोड़ रू. प्रदान किए।

कृषि ऋण

1. वर्ष 2013–14 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 7 लाख करोड़ रू. रखा गया है।
2. लघुकालिक फसल ऋण हेतु ब्याज अनुदान योजना जारी रहेगी, यह योजना उनके लिए भी लागू होगी जिन्होंने फसल ऋण निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से लिया है।

हरित क्रांति

1. पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना एक उल्लेखनीय सफलता है। वर्ष 2013–14 में 1000 करोड़ रू. आबंटित किए गए।
2. फसल विविधीकरण का कार्यक्रम आरंभ करने के लिए 500 करोड़ रू. आबंटित किए गए जो तकनीकी नवीनता को बढ़ाएगा और फसलों के विकल्प चुनने में किसानों को प्रोत्साहित करेगा।
3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को क्रमशः 9954 करोड़ रू. और 2250 करोड़ रू. दिए गए।
4. समेकित वाटरशेड कार्यक्रम को वर्ष 2012–13 (बीई) में 3050 करोड़ रू. आबंटित किए गए थे जिसे बढ़ाकर 5387 करोड़ रू. कर दिया गया।
5. नई फसलों की किस्में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर हैं, इन्हें आरंभ करने के लिए न्यूट्री खेती पर व्यापक कार्यक्रम के लिए आबंटित किया गया।
6. रायपुर, छत्तीसगढ़ में एक बायोटिक स्ट्रैस मैनेज़मैंट की राष्ट्रीय संस्था स्थापित की जाएगी ताकि पौध संरक्षण मुद्दों का समाधान हो सके।
7. रांची, झारखंड में भारतीय कृषि जैव तकनीक संस्थान स्थापित किया जाएगा।
8. केरल के कुछ जिलों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में क्रियान्वित नारियल के बागों को पुनः लगाने और उन्हें शक्तिशाली करने की व्यापक योजना को संपूर्ण केरल राज्य में लागू किया जाएगा।

कृषक उत्पादक संघ

1. पंजीकृत कृषक उत्पादक संघों को 10 लाख रू. अधिकतम प्रति संघ को अंश अनुदान की राशि प्रदान की जाएगी ताकि वे वित्तीय संस्थाओं से कार्यशील पूंजी का लाभ उठा सकें।

2. लघु कृषक कृषि व्यवसाय निगम में 100 करोड़ रू. के प्रारंभिक संग्रह (कारपस) से क्रेडिट गारंटी फंड सृजित किया जाना है।

राष्ट्रीय पशु मिशन

1. राष्ट्रीय पशु मिशन की स्थापना की जाएगी।
2. इस मिशन के लिए 307 करोड़ रू. का प्रावधान रखा गया है।

खाद्य सुरक्षा

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए 10,000 करोड़ रू. का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।